न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 38/2020
3. उनवान : सरकार जरिये अतुल कुमार बडाया, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह, निवासी 17, गंगोत्री नगर, गोपालपुरा बाईपास जयपुर, पुलिस थाना शिप्रापथ मानसरोवर (ट्रक नम्बर आरजे–14–2जी–3300) चालक व मालिक
2. श्री कन्हैया लाल रैगर, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मेड अस्थायी सम्बद्ध तेवडी तहसील विराटनगर जिला जयपुर पुलिस थाना विराटनगर।
3. मैनेजर मैसर्स क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. शाहपुरा पुलिस थाना शाहपुरा।
4. मैसर्स ए.आर. ट्रांसपोर्ट कम्पनी, अनाज मण्डी सूरजपोल, अपोजिट मण्डी गेट जयपुर पुलिस थाना गलता गेट।

4. निर्णय दिनांक : 22.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शुक्ला अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
   स) अधिवक्ता श्री शम्मू दयाल गोढवाल अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, विराटनगर, जयपुर श्री अतुल कुमार बडाया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 27.07.2014 को पुलिस थाना विराटनगर में गेहूं की जांच के सिलसिले में पंहुचे। पुलिस द्वारा दी गयी तहरीर के अनुसार ट्रक संख्या आरजे–14–2जी–3300 को महासिंह का बास के जंगल में पकडा। ट्रक के चालक इन्द्रपाल सिंह ने बताया कि ट्रक में भारतीय खाद्य निगम का गेहूं जयपुर से भरकर इस्माईलपुर व तेवडी के डीलर को आपूर्ति करने के लिये लाया था। ट्रक में कुल 320 कट्टों में से 170 कट्टे सुरेन्द्र डीलर इस्माईलपुर, कुहाडा की दुकान पर खाली किये थे। वहीं पर कन्हैयालाल डीलर तेवडी ने गेहूं की बिल्टी लेकर कहा कि मैं ही बाकी के कट्टों की पंहुचा दूंगा और मेरे को ट्रक अपनी मोटरसाईकिल के पीछे लाने की कहकर ट्रक को कच्चे रास्ते से जंगल में ले गया, जहां पर उसने ट्रक से 55 कट्टे उतार कर अन्य पिकअप में लोड करा कर ले गया और बिल्टी भी ले गया। इस प्रकार मामला संदिग्ध होने पर ट्रक को पुलिस थाना लाया गया। थाना विराटनगर से सूचना मिलने पर मय जांच दल के पहुंचे जहां जब्त ट्रक में 95 कट्टे गेहूं मिले। मौके पर उपस्थित चालक ने पुलिस तहरीर में लिखी गयी बातें दोहरायी व बताया कि पुलिस के आने पर कन्हैया लाल बिल्टी लेकर भाग गया। चालक इन्द्रपाल ने स्वयं को ट्रक का मालिक बताया व मैसर्स एस.आर. ट्रांसपोर्ट कम्पनी के जरिये गेहूं ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहा है जिसके लिये परिवहन राशि 6800 रु. तय है। पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह गेहूं शाहपुरा क्रय विक्रय सहकरी समिति लि. शाहपुरा के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम श्रेणी के अन्तर्गत एफसीआई से उठा कर इस श्रेणी के चयनित लाथार्थियों को राशन डीलरों के माध्यम से वितरण किया जाना था परन्तु डीलर कन्हैया लाल द्वारा उसे आपूर्ति के लिये आशयित गेहूं को अन्यत्र निजी लाभार्थ ले जाया जा रहा था। प्रकरण में अग्रिम जांच हेतु कन्हैया लाल की उचित मूल्य की दुकान पर जांच की गयी। दौराने जांच दुकान के स्टॉक रजिस्टर की तुलना में भौतिक सत्यापन करने पर 2721 किग्रा गेहूं अधिक पाया गया। डीलर ने बताया कि वह ट्रक संख्या आरजे–14–2जी–3300 से 55 कट्टे लेकर आया था तथा उसने उनकी बिल्टी प्रस्तुत की। इस प्रकार स्टॉक में अधिक पाये गये गेहूं के सम्बन्ध में डीलर द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। इसलिये मौके से स्टॉक में अधिक पाये गये 55 कट्टे गेहूं कुल वजन 2721 किग्रा. व ट्रक संख्या आरजे–14–2जी–3300 को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 4 के नोटिस पर थाना गलता गेट द्वारा टिप्पणी की गयी कि 4–5 साल पहले कम्पनी ने दुकान खाली कर दी थी एवं उसका नया पता, नम्बर भी नहीं है। ऐसे में अप्रार्थी संख्या 4 की तामील करवाया जाना संभव नहीं है। दिनांक 05.09.2014 अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 05.09.2014 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शुक्ला ने दिनांक 12.11.2014 को व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भू दयाल गोढवाल ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी संख्या 3 ने दिनांक 27.08.2016 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनके द्वारा ए.आर. ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा उक्त जब्त ट्रक के द्वारा बिल्टी के साथ डीलर सुरेन्द्र व कन्हैया लाल के यहां भिजवाया था। परन्तु संभवतया ट्रक ड्राइवर व डीलर कन्हैया लाल द्वारा मिलीभगत कर रास्ते में कुछ कट्टे अन्य गाडी में उतरवा लिये इसमें समिति का कोई दोष नहीं है। समिति की इस जवाब को ही बहस मानते हुये प्रकरण को निस्तारण करने की कृपा करें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 22.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 27.07.2014 को अप्रार्थीगण से कालाबाजारी की नीयत से ले जाये जा रहे व उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक की तुलना में ज्यादा मिले गेहूं को जब्त किया गया। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर ने बताया कि डीलर कन्हैया लाल रास्ते में दूसरी पिकअप में 55 कट्टे भरकर ले गया तथा पुलिस को आते देखकर बिल्टी लेकर भाग गया। जो कि संदेहास्पद है। पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हुआ कि यह गेहूं शाहपुरा क्रय विक्रय सहकरी समिति लि. शाहपुरा के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम श्रेणी के अन्तर्गत एफसीाआई से उठा कर इस श्रेणी के चयनित लाभार्थियों को राशन डीलरों के माध्यम से वितरण किया जाना था। परन्तु उसके द्वारा ट्रक को तेवडी के रास्ते में नहीं ले जाया गया व 55 कट्टे निजी लाभार्थ कालाबाजारी करने की नियत से अन्यत्र बेचे जाने के लिये अन्य पिकअप में लदा कर भेज दिये और पुलिस द्वारा ट्रक को रोका जाकर ट्रक थाने में खडा करने की सूचना पर इन कट्टो को तेवडी वाली दुकान पर ले जाकर रख दिया। डीलर कन्हैया लाल की दुकान में स्टॉक रजिस्टर की तुलना में भौतिक सत्यापन करने पर 2721 किग्रा गेहूं अधिक पाया गया। डीलर ने बताया कि वह ट्रक संख्या आरजे–14–2जी–3300 से 55 कट्टे लेकर आया था तथा उसने उनकी बिल्टी प्रस्तुत की। जब्तशुदा गेहूं राशन डीलर कन्हैया लाल ग्राम तेवडी के यहां उतारा जाना था तो रास्ते में अन्य वाहन में 55 कट्टे गेहूं लोड करवाना तथा बिल्टी लेकर भाग जाना तत्पश्चात 55 कट्टे गेहूं को तेवडी राशन की दुकान पर खाली कराया जाना इस बात को पुष्ट करता है कि उक्त राशन गेहूं को अवैध क्रय विक्रय हेतु कालाबाजारी की नीयत से उतारा गया था। उक्त अवैध कारोबार में जब्त वाहन द्वारा मिलीभगत करके अवैध परिवहन सिद्ध होता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा इस संबंध में कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त 150 कट्टे गेहूं कुल वजन 7500 किग्रा. मय बारदाना (स्टॉक में अधिक पाये गये 55 कट्टे गेहूं वजन 2721 किग्रा. व ट्रक सें जब्त 95 कट्टे गेहूं वजन 4750 किग्रा.) व ट्रक संख्या आरजे–14–2जी–3300 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।